लीसा भरे टिनों के ढुलान हेतु निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट में वर्ष 2023 लीसा फसल में निकाले गये लीसा भरे टिनों का ढुलान निम्नलिखित लीसा डिपुओं से लीसा भण्डार ऋषिकेश तक ढुलान करने के लिए सीलबन्द निविदा महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखड़ की ओर से प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के नाम **दिनांक– 30–10–2023 अपरान्ह 04:00 बजे तक पंजीकृत डाक से आमंत्रित की जाती है।** प्राप्त निविदायें अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा निविदा/मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा **दिनांक दिनांक– 31–10–2023 को अपरान्ह 02:00 बजे खोले जायेगें।** जो ठेकेदार निविदा खोलते समय उपस्थित रहना चाहते हैं वे भी उपस्थित रह सकते हैं।

क्र0 सं0	मोटर रोड़ लीसा डिपो का नाम	लीसा उत्पादन की अनुमानित मात्रा (कु0 में)	लीसा भरे टिनों की अनुमानित संख्या	अनुमानित दूरी लीसा मोटर रोड़ डिपो से ऋषिकेश तक
1	राजगढी	80	480	215 किमी0
2	गंगटाड़ी	320	1920	220 किमी0
3	गडोली	360	2160	205 किमी0
4	सरूखेत	660	3960	194 किमी0
5	गंगनानी	200	1200	202 किमी0
6	सौली	220	1320	185 किमी0
7	कुठिण्डी	740	4440	187 किमी0
8	पालीगाड़	620	3720	215 किमी0
9	कन्ताड़ी	160	960	211 किमी0
	योग–	**3360**	**20160**	

शर्ते निम्न प्रकार हैं :–

1. निविदा के बाहर लिफाफे के ऊपर लीसा ढुलान हेतु निविदा बावत लीसा ढुलान लिखा होना चाहिए। इसके साथ 5000.00 (पाँच हजार रूपये) की बन्धक धनराशि होनी चाहिए, जो अधोहस्ताक्षरी के नाम एन0एस0सी0/डाक घर बचत बैंक पास बुक में निरूपित होना अनिवार्य है। निविदा के साथ बन्धक धनराशि नहीं होगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा एक ही व्यक्ति के नाम होनी चाहिए। यदि कोई कम्पनी टेण्डर देती है तो कम्पनी के रजिस्ट्रेशन की एक प्रति साथ होनी चाहिए।
3. निविदा प्रत्येक डिपो के लिए अलग–अलग प्रति कुन्तल की दर से देना होगा।
4. निविदा स्वीकृत होने पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा व ठेके के मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
5. लीसा भरे टिनों का ढुलान दिनांक 31.12.2023 तक पूर्ण रूप से समाप्त करना होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में अधिक समय की आवश्यकता होगी तो अधोहस्ताक्षरी से लिखित आज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा।
6. समस्त टैक्स टेण्डरदाता वहन करेगा, सरकारी सामान के सम्बन्ध में विभाग से प्रमाण पत्र लेना होगा।
7. निविदा बिना शर्त होनी चाहिए, सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. ढुलान किये गये लीसे की सूचना वजन सहित लीसा भण्डार अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा दी गई सही मानी जायेगी।
9. ट्रांसपोर्ट में लीसा टिनों की क्षति का उत्तरदायित्व लीसा ढुलान ठेकेदार का होगा। क्षति हुये लीसे की कीमत बाजार भाव की दर से ट्रांसपोर्ट ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

10. वर्षा आदि के कारण सड़क बन्द होने पर विभाग किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. उपरोक्त टिनों की संख्या घट बढ़ सकती हैं। वास्तविक संख्या तथा ढुलान भी मांग ऋषिकेश डिपों द्वारा प्रमाणित लीसा आमद के अनुसार होगी।
12. कार्यादेश मिलने के पश्चात ठेकेदार को स्टाम्प ड्यूटी व आयकर आदि नियमानुसार जमा करना होगा।
13. टेण्डर फार्म 300.00 (तीन सौ रूपये) प्रति + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत अतिरिक्त की दर से **प्रधान कार्यालय, बड़कोट में किसी भी कार्य दिवस को दिनांक 13—10—2023 से 28—10—2023 अपरान्ह 02.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।**
14. लीसे भरे टिनों का ढुलान रवन्ना चालान से होगा जो कि सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी या डिपो मोहर्रिर से प्राप्त करना होगा।
15. पेट्रोल/डीजल आदि के रेट में परिवर्तन होने पर लीसा टिनों के ढुलान दरों पर कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा।
16. टेण्डर की दर में लीसा टिन लोडिंग/अनलोडिंग भी सम्मिलित होगी।
17. टेण्डरदाता को अपना हैसियत प्रमाण पत्र जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसमें टेण्डरदाता की हैसियत कम से कम 5 लाख होनी अनिवार्य है तथा हैसियत प्रमाण पत्र छः माह तक वैध समझा जायेगा। बिना हैसियत प्रमाण पत्र के टेण्डर स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
18. टेण्डरदाता को ट्रक का रजिस्ट्रेशन जो कि वर्ष 2024 (31 दिसम्बर 2024) हेतु परिवहन विभाग से नवीनीकरण किया गया हो टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
19. टेण्डरदाता को जिला परिषद का लाईसेन्स भी टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा।
20. टेण्डरदाता को उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी टेण्डर के साथ प्रस्तुत करना होगा जो कि छः माह से पुराना न हो।
21. टेण्डर केवल इस कार्यालय से प्राप्त टेण्डर फार्म पर ही मान्य होगा तथा सादे कागज या कम्पनी के लेटर पैड आदि पर मान्य नहीं होगा। ऐसे टेण्डर स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
22. टेण्डर के साथ 10.00 रूपये का स्टाम्प तथा उस पर 1.00 रूपये का रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर सहित अनिवार्य है।
23. टेण्डर के साथ मांगे गये समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
24. टेण्डरदाता का अपना ट्रक होना चाहिए व ट्रक नम्बर रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति टेण्डर के साथ नत्थी होनी चाहिए।
25. सम्बन्धित लीसा भरे टिनों के ढुलान का भुगतान बजट तथा साख सीमा उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
26. टेण्डर फार्म किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग/कटिंग स्वीकर नहीं होगी।

(डॉ0 अभिलाषा सिंह)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।